

पत्रांक 1718 /18सी0
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय:- द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी0 6.00 (है0 4-6) से बयेला नाइ मोटर मार्ग हेतु 4.417 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (Proposal No. FP/UK /ROAD/ 9364/2015)

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2073/18सी. दिनांक 05.08.2016

उपरोक्त विषयक संदर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 2073/18सी0, दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 6271/12(2)अल्मोड़ा दिनांक 28.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 27.11.2018 से पूर्व जिन मार्गों क सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, परन्तु विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उन मार्गों में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है, उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 05.08.2016 को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में आप द्वारा नई दरों पर रू0 1978153.00 का डिमाण्ड नोट दिनांक 28.06.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1051/18सी0 दिनांक 29.04.2024 द्वारा उक्त धनराशि की मांग प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून से की गई धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त उक्त धनराशि इस कार्यालय द्वारा रू0 1978153.00 दिनांक 15.06.2024 को वन विभाग के नाम ऑनलाईन जमा कर दी गयी है। (प्रतिसंलग्न) तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या पुनः आपको बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

1. शर्त संख्या-1 के अनुसार 8.834 है0 ग्राम- फलझाड़ी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं0-5342/ग्यारह-19/2017-18, दिनांक 30.07.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दी गयी है। आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 2237935.00, UTR No. SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.09.2018 द्वारा जमा कर दी गयी थी, पुनः एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि रू0 1978153.00, UTR No. SBINR 424170122120 दिनांक 15.06.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है। (प्रति संलग्न)
2. शर्त संख्या-2 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3732365.00, UTR No. SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.09.2018 द्वारा कुल रू0-5970300.00 मात्र का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से पूर्व में जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुसार भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या-4 के अनुसार सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantaion कर दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या-11-306/2014-एफ0सी0 दिनांक 08.08.2014 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-4949/111(2)/2014 -03(सा0मा0)/208टी0सी0, दिनांक 09.09.2014 द्वारा लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेइ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तदनुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान/पातन की कार्यवाही करते हुए आख्या नोइल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय,

(इं0 ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

पत्रांक /18सी0 तददिनांकित।


प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोइल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलौनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

::बचनबद्धता का प्रमाण पत्र::



परियोजना का नाम:- द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी० 6.00 (है० 4-6) से बयेला नाइ मोटर मार्ग हेतु 4.417 है० भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बड़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

 अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग के किमी० 6.00 (है० 4-6) से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण में सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करा दिया जायेगा।

 अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-06-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6193640385
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	1978153/-

Amount in Words : Nineteen Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;


Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896193640385 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Const. Division P.W.D.
RANIKHET

Executive Engineer
Const. Division P.W.D.
RANIKHET



S B I N 424170122120

e ChequeID :CO3701185601180001 Date :03-JAN-18

Div Code : 1856 Division Name : Construction Division P.W.D
 Grant No : PAC Scheme : 5054043370204 NV
 Name : Executive Engineer CD PWDRanikhet
 Project Name : N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTTED AMT : 226966743 EXPENDITURE AMT : 175834770 REMAINING AMT : 51131973

To
TO/Sr.TO/TO/STO
Ranikhet

Please Issue Cheque in favour of Executive Engineer CD PWDRanikhet as per detail below.

1. Payment by Cheque	5970300.00
2. Payment on A/C of following (Through book transfer)	
2.1 Income Tax -TDS (865800112000000) :	0.00
Total Payment	5970300.00

Amount in words : (Rs. Fifty-Nine Lac Seventy Thousand Three Hundred Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Construction Division P.W.D. Ranikhet

Signature with Seal

Executive Engineer
Executive Engineer CD P.W.D
RANIKHET

For Treasury Use

Voucher No
 Voucher Date

ID :CO3701185601180001 Date :03-JAN-18

Passed Amount Rs 5970300.00
 Amount in words (Rs. Fifty-Nine Lac Seventy Thousand Three Hundred Only.)
 Bank Amount Rs 5970300.00
 Amount By TC Rs. : 0.00

Payment Id :

Accountant Signature

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

3209
18/7/18
U-8-18

(1)

:-आदेश:-

जनपद अल्मोडा में विकास खण्ड द्वाराहाट, के अर्न्तगत द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग में बयला-नाड मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.417 हैक्टेयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल-8.834 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जान के संबंध में शासनादेश संख्या-1332/XVIII(II)/2014-18(59)/2013, दिनांक 07 जुलाई,2014 के प्राविधानों के आधार पर उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति के साथ प्राप्त तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 148/र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014-15 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत, के पत्रांक संख्या-1378/27सी, दिनांक 22-06-2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 13.12.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2, तथा तहसीलदार/उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू०सी०पी०/०६/११२/२०१५/एफ०सी०/७४७, दिनांक ०७.०९.२०१७ के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु ग्राम-फल्दाडी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-फल्दाडी, तहसील-द्वाराहाट, के गै०ज० वि०ख०खा०संख्या-145 की श्रेणी-9(3)ग "गोचर पशुचर" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212, मध्य, 4244 व 4246 कुल अर्थात् कुल 14 खेत नम्बरानों की कुल 8.834 हैक्टेयर 9(3) ग (गोचर पशुचर) भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होगी।

माता/पिता 9/5/18
3/7/18

नितिन सिंह भदौरिया
जिला अधिकारी,
अल्मोडा।

नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोडा

संख्या 5342/ग्यारह- 19 /2017-18, दिनांक 30 जुलाई, 2018

2241
1-8-18
प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा, वन प्रभाग, अल्मोडा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
- 3- उप जिला अधिकारी, द्वाराहाट।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

सं- 2241/990 सी-०१/१०, दि०-०१.०८.१८,
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण
खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत को सूचना के
उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी,
अल्मोडा।

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०

राजपथ खतानी नकल
 फल्दाड़ी रा0उ0नि0 क्षेत्र- फल्दाड़ी तहसील- द्वाराहाट जिला- अल्मोड़ा
 9(3)ग- गौचर

खतौनी खाता सं०	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा (हे०)	लगान	अन्य विवरण
46	पशुचर गौचर		1	3.026		जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 6342/गारह-19/2017-18, दिनांक 30 जुलाई 2018 के क्रम में क्षतिपूर्त वसूरीयत हेतु ग्राम फल्दाड़ी राजस्व उप निरीक्षण क्षेत्र फल्दाड़ी तहसील द्वाराहाट के गैर ज.वि.क्षेत्र में खसरा संख्या श्रेणी 9(3)ग गौचर पशुचर भूमि के पैगडिमी खेत नम्बर 1, 19, 21, 51, 67, 241, 243, 296, 322, 325, 347, 4212, 4244 व 4246 खेत नम्बरों की कुल 8.834 है. भूमि वन विभाग के प्राथमिक नियंत्रण में नामान्तरित वर्ग की गयी। ड० अक्षय रा० उ० नि० फल्दाड़ी
			19	0.111		
			21	1.266		
			49	0.048		
			51	0.070		
			63	0.018		
			67	0.323		
			↓	↓		
			241	0.326		
			243	0.151		
			↓	↓		
			296	0.864		
			306	0.013		
			319	0.040		
			322	0.266		
			325	0.128		
			↓	↓		
			347	0.490		
			↓	↓		
			4212	0.725		
			4240	0.004		
			4241	0.066		
			4244	0.730		
			4246	0.250		
			↓	↓		
			5486	0.006		
			5488	0.031		
			5502	0.368		
	योग		424	42.344		

महोदय,
 नगर खतौनी असल खतौनी से
 तैयार की,

30.07.2024

राजस्व उपनिरीक्षक
 क्षेत्र - फल्दाड़ी
 तहसील - द्वाराहाट

118सी.

दिनांक, रानीखेत,

5-9-2018

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :-

द्वाराहाट-सुरईखेत मोटर मार्ग किमी 0-6 है 0 4-6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग कि निर्माण हेतु 4.417 है 0 वन भूमि का लो 0 नि 0 वि 0 को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं. 9354/2015)

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक 08ब0/यू0सी0पी0/06/112/2015/एफ0सी0/947
दिनांक 07.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुसार 8.834 हे. ग्राम फल्दाणी की सिविल एवं सोयम भूमि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं. 5342/ग्यारह-19/2017-18 दिनांक 30.07.2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया गया है, आदेश की प्रति संलग्न है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण, 10 वर्षों तक रखरखाव ₹ 2237935.00, UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 जमा कर दी गयी है। छायाप्रति संलग्न है।
2. शर्त संख्या-2 एन0पी0वी0 की घनराशि ₹ 3732365.00 UTR नम्बर SBINRS 2018011800047037 दिनांक 19.01.2018 कुल ₹ 5970300.00 मात्र आन लाईन द्वारा जमा कर दिया गया है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुसार भविष्य में यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई राशि अतिरिक्त जमा कर दी जायेगी, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या-5 सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

भारत सरकार एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के परिपत्र संख्या 11-306/2014-एफ.सी. दिनांक 8.8.14 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 4949/111(2)/2014-03(सामा.)/208 टी.सी. दिनांक 9.9.14 द्वारा लो 0 नि 0 वि 0 को निर्देशित किया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्तों का अनुपालन हो जाने पर इसी को ही पेड़ कटान एवं कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति मान लिया गया है, तदनुसार योजना का क्रियान्वयन शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की पातन की कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से आख्या नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सके।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार पत्र

भवदीय,

(मोहन चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पत्रांक 2073 /118सी.

तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन, संरक्षक इन्दिरा नगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग.